उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–38 / 2021–22

सरकार
–बनाम–
मो0 फारुक अंसारी

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –3545 / अप0 शा0 दिनांक – 22.11.2021 के द्वारा वादी शिवनारायण सिंह पे0–राजेन्द्र सिंह साकिन–कोण्डरा चटकपुर थाना–सुरसांग जिला–गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर सुरसांग थाना काण्ड सं0–18 / 2021 दिनांक–26.10.2021 धारा–414 / 34 भा0द0वि0, एवं 11(A) (D) पशु कुरता अधिनियम तहत् झारखण्ड गोवंशीय पशुओं को कुरतापूर्वक लोडकर ले जाने के आरोप में जप्त पीकअप वाहन सं0 – JH01AE- 6414 के मालिक मो0 फारुक अंसारी पं0–स्व0 बदरुद्दीन अंसारी सा0–कोटाम थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया । उत्तरवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड गो–वंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम–2005 (Jharkhand Bovine Animal Probhition of Slaughter Act.) के दंडात्मक धारा–12(3) में उल्लेख है कि: “Whenever a vehicle is found to have been used in transportation of cattle or, beef contravening any provision of this Act. the vehicle shall be forfeited to the State Government”

उक्त अधिनियम की धारा 12(1) एवं 12(3) में उल्लेखित सजा अपराधिक न्यायालय में संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर दिया जा सकता है, एवं अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लघन कर गोवंशीय पशुओं या गोमांस का वहन करते पाए जाने पर संलिप्त वाहन को न्यायालय द्वारा राज्य के पक्ष में Forfeit किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि झारखण्ड Bovin Animal Prohibition of Slaughter Act.2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध होने के उपरान्त ही राजसात की कारवाई प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cr.M.P.No. 2862/2013 With Cr.M.P.No. 2865/2013 द्रष्टव्य।

उक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वर्तमान में राजसात की कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नही होता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

30.12.22

उपायुक्त,
गुमला

30.12.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 12:59:35 +05:30
Location: 192.168.5.105